# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

## अनुमति वाद संख्या :–184/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

लोधा प्रधान – विक्रेता

मन्टु प्रधान – क्रेता

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 03.02.20 | **आदेश**<br>आवेदक लोधा प्रधान पिता स्व0 सुकरा प्रधान ग्राम–खूँटी, खूँटीटोला, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने मन्टु प्रधान पिता सावना प्रधान ग्राम–सुटी, पोस्ट–जलटंडा, थाना–मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।<br>ग्राम: खूँटीटोला; थाना नं0: 80; खाता नं0: 20; खेसरा सं0: 793; रकबा (एकड़ में): 0.10<br>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0928551917 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1086 दिनांक 16.11.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम झमन प्रधान वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार कोका प्रधान वगैरह के नाम भूमि का रकवा 25.15 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.14 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 65885.00(पैसठ हजार आठ सौ पच्चासी)रू0 भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.04 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।<br>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।<br>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण लोधा प्रधान पिता स्व0 सुकरा प्रधान को मन्टु प्रधान पिता सावना प्रधान के साथ ग्राम खूँटी टोली के खाता सं0 20 खेसरा संख्या 793 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 65885.00(पैसठ हजार आठ सौ पच्चासी)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।<br>लेखापित एवं संशोधित<br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।     भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी। | |

Table inside the order:

| ग्राम | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा सं0 | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| खूँटीटोला | 80 | 20 | 793 | 0.10 |